(घ) इस प्रकार के कितने मामले अभी विचाराधीन हैं ; और

(ङ) स्वायत्तता प्रदान करने के क्या मापदंड हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ङ) स्वायतशासी कालेजों की योजना संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्वायत्तता प्रदान करने के मानदंड में कालेज की शैक्षिक प्रतिष्ठा और पूर्व कार्य-निष्पादन उसके शैक्षिक, और सह-पाठ्य-चर्या कार्यकलाप, संकाय की शैक्षिक उपलब्धियों, छात्रों और शिक्षकों के चयन की पद्धति, भौतिक सुविधायें, संस्थागत प्रबंध, वित्तीय संसाधन आदि सम्मिलित हैं । जो कालेज क्षमता और वचनबद्धता दर्शाते हैं, उन पर भी स्वायत्तता के दर्जे के लिये विचार किया जाता है । किसी कालेज को स्वायत्तता का दर्जा, इसके मूल विश्वविद्यालय द्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और सबद्ध राज्य सरकार की सहमति से ही प्रदत्त किया जाता है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार अब तक 103 कालेजों को स्वायत्तता का दर्जा दिया गया है और कालेजों को स्वायत्तता प्रदान करने के 69 प्रस्ताव संबद्ध विश्व-विद्यालयों और राज्य सरकारों के पास हैं । आयोग ने तमिलनाडु में एक कालेज को स्वायत्तता देने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया हैं ।

विश्वविद्यालय के ढांचे के भीतर स्वायत्तशासी विभागों/संस्थाओं/केन्द्रों/स्कूलों की योजना के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय, (i) स्कूलों, क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों, जन संचार केन्द्रों और क्षेत्रीय उपकरण केन्द्रों (i) उच्चतर अध्ययन केन्द्रों के रूप में मान्यता प्राप्त विभागों और (iii) उन विभागों को जो विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग से डी०एस०ए०, डी०आर०एस०, विशेष अनुसंधान एककों और सी०ओ०एस०आई०एस०टी० की योजनाओं के अन्तर्गत विशेष सहायता प्राप्त करते हैं, को स्वायत्तता का दर्जा प्रदान कर सकते हैं । जो विभाग क्षमता दिखाते हैं और जिनका अच्छा शैक्षिक रिकार्ड है, उन पर भी स्वायत्तता प्रदान करने के लिये विचार किया जा सकता है ।

विश्वविद्यालय के अन्तर्गत एक विभाग को स्वायत्तता का दर्जा विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं ही कार्यकारी परिषद/सिंडीकेट की स्वीकृति से प्रदान किया जाता है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/केन्द्र सरकार का कोई संबंध नहीं होता ।

देश में सभी विश्वविद्यालय संसद/राज्य विधानमंडलों के अधिनियमों द्वारा स्थापित किये जाते हैं और स्वायत्त हैं ।

Poaching and Indiscriminate Mining in Sariska Tiger Reserve in Rajasthan

1478. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the rampant poaching and indiscriminate mining in the Sariska Tiger Reserve resulting in the degradation of land, pollution of air surface and ground water, seriously, threatening the habitat and wildlife;

(b) if so, whether Government have made any survey to assess the situation; and

(c) if so, what are the details thereof stating the steps contemplated by Government in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) to (c) Information is being collected from the State government of Rajasthan and shall be placed on the Table of the House.